न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 104/2017

लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सीतो रोड़ अबोहर जिला फाजिल्का हाल मोजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

–अपीलार्थी

बनाम

1. विजय देवी पत्नी बलवंतसिंह जाति जाट निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानढ़।
2. सुशीलादेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी हिसार (हरियाणा)
3. दीपक पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी पक्कासारण तहसील व जिला हनुमानगढ ।
4. विनोद देवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी पक्का सारना तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । –– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 31.01.2017 व 31.03.2017

उपस्थितिः–

श्री बलकरणसिंह बराड़, अभिभाषक अपीलांट

श्री राज्ञासिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 03.12.2018

प्रकरण के तथ्स संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्टान ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट टेक्र) श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53 का पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि 7.904 है. राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित 6.323 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का बराबर बराबर 1.504 है0 हिस्सा दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी आपस में भाई बहिन है। भूमि संयुक्त खाता में होने से काश्त करने में असुविधा होती है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि का किस्म अनुसार बंटवारा किया जावे।

प्रतिवादी ने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी अकेले का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 शादीशुदा है एवं अपने घरों खुश व आबाद है। प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। अतः वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। काउन्टर क्लेम का जबाव वादीगण ने पेश कर काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष से 4 वाद बिन्दु कायम किये गये।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर विववादित भूमि के विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाने के आदेश दिये गये एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव दावा एवं काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रतिकूल कब्जा हो चुका है वादीगण अपने परिवार में रहती है उनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधी. न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य से कब्जा साबित किया था एवं अधी. न्यायालय ने वाद स्वीकार करने एवं काउन्टर क्लेम खारिज करने में कानूनी भूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की हैं अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अधी. न्यायालय के समक्ष अपने दावे व अधी. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने तर्कों/तथ्यों को उद्धृत करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करना चाहता है जो रा.का.अ. के तहत नहीं दिये जा सकते है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरडी 14.08.2011 पेज 508, आरआरडी 14.06. 2018 पेज 337, आर.आरउ.डी 14.05.2018 पेज 285, 2018 डीएनजे पेज 111 का हवाला दिया। इसके अलावा वकील रेस्पो. ने आरआरडी 14.06.2018 पेज 328 का हवाला देकर कथन किया कि पैतृक सम्पति में सभी वारिसान का हक व अधिकार होगा। अधी.न्यायालय ने पैतृक सम्पति में सभी वारिसान का हक व अधिकार मानते हुए विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन व चितन किया गया तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली व इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख आद्योपांत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। तद्नुसार इस न्यायालय स्तर पर अधी. न्यायालय द्वारा विरचित तनकीयात का तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार हैः—

तनकी सं. 1:—

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसका निर्णय अधी. न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में किया है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी में विवादित भूमि प्रतिवादी/अपीलांट व रेस्पों. सं. 1 से 4/ वादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इस तथ्य को अपीलांट ने भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 के निर्णय में अधी. न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है एवं इस न्यायालय के विनम्र मत में भी तनकी सं. 1 का विनिश्चय वादीगण के पक्ष में किया जाना उचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तनकी सं. 2:–

जहां तक तनकी संख्या 2 का प्रश्न है। इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था। अधी. न्यायालय में किये गये विवेचन के अनुसार इस प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि वादीगण/रेस्पों सं. 1 से 4 विवाहित हैं एवं ये अपनी स्वेच्छा से अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक समझौते के द्वारा इस विवादित भूमि में अपने हक व अधिकार अपनी स्वेच्छा से अपीलांट/प्रतिवादी के हक में छोड दिये, इस कारण से उनके द्वारा लम्बे समय से विवादित भूमि की काश्त नहीं की गई है और न ही लगान राशि का भुगतान किया गया है। बल्कि रेस्पों. की देखा देखी जानकारी व खुल्लम खुल्ला अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के कथनानुसार ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/अपीलांट विवादित सम्पूर्ण भूमि का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार बन चुका है एवं रेस्पों. के अधिकार विवादित भूमि में धारा 63(4) राज.काश्त. अधि. के तहत स्वतः ही समाप्त हो चुकें हैं व रेस्पों. को इस विवादित भूमि में विभाजन करवा अपने अधिकारों की घोषणा का कोई अधिकार नहीं है परन्तु अधी. न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट रूप से माना है कि वादीगण/रेस्पों. द्वारा पारिवारिक स्तर पर किसी प्रकार का मौखिक समझौता किया जाकर अपने अधिकारों का प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में परित्याग किया गया हो, की बाबत किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रतिवादी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वादीगण द्वारा अधी. न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र व उसकी जिरह में यह प्रमाणित करवाया है कि वादीगण ने शादी होने के बाद इस विवादित भूमि में अपना हक नहीं छोडा है। इस प्रकार जब विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं वादीगण द्वारा अपने अधिकारों का कभी परित्याग नहीं किया गया एवं उनके अधिकार समाप्त नही हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने हिस्सा अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकार है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 का निर्णय अधी. न्यायालय में वादीगण के पक्ष में करने में कोई भूल नहीं की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तनकी सं. 3:–

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/अपीलार्थी पर था। प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने जबाबदावे एवं काउन्टरक्लेम में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि वादीगण/रेस्पों सं. 1 से 4 विवाहित हैं एवं ये अपनी स्वेच्छा से अरसा करीब 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक समझौते के द्वारा अपने हक व अधिकार अपनी स्वेच्छा से अपीलांट के हक में छोड दिये इस कारण से उनके द्वारा लम्बे समय से विवादित भूमि की काश्त नहीं की गई है और न ही विवादित भूमि में अपने हिस्से का लगान राशि का भुगतान किया गया है। बल्कि रेस्पों. की देखा देखी जानकारी व खुलम खुला अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित सम्पूर्ण भूमि का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार बन चुका है एवं रेस्पों. के अधिकार विवादित भूमि में धारा 63(4) राज.काश्त.अधि. के तहत स्वतः ही समाप्त हो चुकें हैं। जहां तक अपीलांट का यह तर्क है कि विवादित भूमि में रेस्पों. ने अपना हक छोड दिया है के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट रूप से माना है कि वादीगण/रेस्पों. द्वारा पारिवारिक स्तर पर किसी प्रकार का मौखिक समझौता किया जाकर अपने अधिकारों का प्रतिवादी/अपीलांट के पक्ष में परित्याग किया गया हो, की बाबत किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वादीगण द्वारा अधी. न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र व उसकी जिरह में यह प्रमाणित करवाया है कि वादीगण ने शादी होने के बाद इस विवादित भूमि में अपना हक नहीं छोडा है। ऐसी स्थिति में वादीगण/रेस्पों. का विवादित भूमि में अपना हक छोडने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। मोटे तौर पर प्रतिवादी/अपीलार्थी ने काउन्टरक्लेम के आधार पर प्रतिकूल कब्जा से विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है एवं इसके सन्दर्भ में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं के सम्बन्ध में रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों के अनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सकता एवं ऐसा ही माननीय न्यायालयों द्वारा इन विधि दृष्टांतों में इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जा सके। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने अपने विवेचन में तनकी सं. 3 को प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध विनिश्चय करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है एवं इस न्यायालय के विनम्र मत में भी तनकी सं. 3 का विनिश्चय अपीलांट के विरूद्ध किया जाना विधिसंगत है।

अतः अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर